राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प. 5(18)कार्मिक/क–2/84 पार्ट जयपुर, दिनांक : 16.08.2016

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

। विषय–भूतपूर्व सैनिकों को राज्य की सेवाओं में एक बार से अधिक (दोहरा) लाभ देने के संबंध में।

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत राज्य के अधीन विभिन्न सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान विहित है।

इस संबंध में राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचारार्थ आया कि यदि उक्त नियमों के तहत किसी भूतपूर्व सैनिक को एक बार आरक्षण का लाभ दिया जाकर राज्य के अधीन किसी सेवा में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है, तो भी क्या वह भूतपूर्व सैनिक राज्य के अधीन किसी अन्य भर्ती में पुनः भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी माना जाएगा। इस संबंध में पूर्व में इस विभाग द्वारा पत्र क्रमांक प. 5 (18) कार्मिक/क–2/ 84 पार्ट दिनांक 14.11.2002 द्वारा एवं इसी प्रकार के अन्य पत्रों एवं अभिमतों द्वारा यह नीति सूचित की गई कि किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा एक बार आरक्षण का लाभ प्राप्त कर नियोजन प्राप्त कर लेने के उपरान्त यदि वह उच्च पद के लिए आवेदन करता है तो ही उसे पुनः आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है समान पद हेतु नहीं। वस्तुतः उक्त नीति भारत सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति से हटकर है।

इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का गहनता से परीक्षण किया गया, तथा यह निश्चय किया गया है कि इस संबंध में राज्य में भी भारत सरकार के अनुरूप ही प्रावधान किए जाने चाहिए। अतः भविष्य में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण का पुनः लाभ देने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (civil employee) के रूप में ही माना जाएगा । अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के

उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुनर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा।

2. ऐसा 'भूतपूर्व सैनिक लोकसेवक' अन्य लोक सेवकों को सामान्य स्थिति में अनुज्ञात आयु आदि की शिथिलता जैसे लाभ प्राप्त करने का अधिकारी माना जाएगा।

3. यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी निजी कंपनी में नियोजन प्राप्त करता है अथवा किसी स्वायत्तशासी संस्था, सार्वजनिक उपक्रम या राजकीय कार्यालय में आकस्मिक/ संविदा /अस्थाई /तदर्थ आधार पर नियोजन प्राप्त करता है तो उसे इस प्रयोजन हेतु लोक सेवक के रूप में एक बार आरक्षण का लाभ प्राप्त किया हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसी सेवा से कर्मचारी को कभी भी हटाया जा सकता है।

4. यदि कोई भूतपूर्व सैनिक, देय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर, किसी एक लोक सेवा में पुनर्नियोजन स्वीकार करता है और उससे पूर्व उसने अन्य किसी पद की भर्ती हेतु भी आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है, तो उसे अपने सेवा नियंत्रक अधिकारी को ऐसे किए हुए आवेदनों की दिनांकवार पूर्ण सूचना/स्वघोषणा कार्यग्रहण के साथ ही प्रस्तुत कर देने की स्थिति में, ऐसे कार्यग्रहण से पूर्व किए हुए आवेदनों के संबंध में भी भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ देय होगा।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दिये जाने के संबंध में उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजभवन जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

34/2016